अपील सूचना अधिकार संख्या 133/2020 (GCMS 2020/00228) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर(पोस्ट ऑडर क्रमाक 48एफ–311197) बनाम उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

18.01.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 26.06.2020 से चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (राजस्व) के क्रमांक 584 दिनांक 13.07.2016 की जांच रिपोर्ट निबंधक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख व क्रमांक की सूचना।
2. बीएलओ सुभाष गोयल द्वारा लोकसभा चुनाव 2014 में श्रीगंगानगर उपस्थित रहकर 5.4.14 से 11.4.14 तक चुनाव ड्यूटी का कार्य प्रतिदिन निष्पादन रिपोर्ट 17.06.2014 को उप पंजीयक कार्यालय प्रस्तुत करने की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. दिनांक 5.4.14 से 7.4.14 तक बैंक के अधिकारी के द्वारा श्री एम.आर. खन्ना के पत्रानुसार (वह) बीएलओ मुख्यालय छोड़कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जोधपुर निजी कार्य के लिए गया था, इस पर बिना अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी के मुख्यालय छोड़ने पर जिला निर्वाचन विभाग, नई दिल्ली के आदेश पर धारा 188 आईपीसी में कार्यवाही करने बाबत सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

4. बीएलओ द्वारा अपनी कार्य निष्पादन रिपोर्ट मिथ्या सिद्ध होने पर उसके विरूद्ध राजस्थान सिविल नियम 1971 एवं मिथ्या (कथनी) रिपोर्ट देने के आधार पर दांडिक कार्यवाही करने बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक आरटीआई/2020/648 दिनांक 28.07.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा चाही गयी सूचना निम्नानुसार है :

1. **बिन्दु संख्या 1** में आप द्वारा चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2. **बिन्दु संख्या 2** में आप द्वारा चाही गयी सूचना की प्रति संलग्न है।
3. **बिन्दु संख्या 3** में आप द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट हैं बिन्दु में यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपको इस बिन्दु के तहत क्या सूचना चाहिए। अतः आप किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण/अवलोकन कर लिखित रूप से अवगत करावें। आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमाक/दिनांक की प्रति/प्रतियों की आवश्यकता है तो कि उक्त प्रतियां आपको उपलब्ध करवाई जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. **बिन्दु संख्या 4** में आप द्वारा चाही गई सूचना अस्पष्ट हैं बिन्दु में यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपको इस बिन्दु के तहत क्या सूचना चाहिए। अतः आप किसी भी कार्यालय दिवस को कार्यालय समय में उपस्थित होकर निरीक्षण/अवलोकन कर लिखित रूप से अवगत करावें। आपको इस कार्यालय के किस पत्र क्रमांक/दिनांक की प्रति/प्रतियों की आवश्यकता है ताकि उक्त प्रतियां आपको उपलब्ध करवाई जा सके।

-sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए**। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है।** इस **अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी** द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज **करने योग्य है।** फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा पत्र क्रमांक/दिनांक आदि से अवगत करवाये जाने पर उसे वांछित सूचनाओं की पत्रावली का अवलोकन करवा दिया जावे और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार उसे सूचना उपलब्ध करवा दी जावे।

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.08 15:30:36 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर